177

संख्या–30/–/XV-2/03(57)/2004(मत्स्य)

प्रेषक,

**आर0सी0 पाठक,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**पशुपालन अनुभाग– 02** देहरादून, दिनांक 18 मार्च, 2013:

**विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 मे केन्द्र पोषित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2106/रा0म0क0यो0/2012–13, दिनॉक 02–03–2013 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19–06–2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या–12012/26/2009–Fy(wu), दिनांक 26–02–2013 द्वारा पचास प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित मछुवा कल्याण योजना में वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवमुक्त केन्द्रांश ₹ 7.95 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप राज्यांश ₹ 7.95 लाख सहित कुल ₹ 15.90 लाख की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1. अवमुक्त की जा रही धनराशी की फॉट निदेशक, मत्स्य द्वारा करने के पश्चात आहरण एवं वितरण अधिकारियों सहित शासन को भी अवगत कराया जायेगा ।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
3. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
4. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना प्रतिमाह की 05 तारीख तक शासन को प्रपत्र बी0एम0–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान की जायेगी।
5. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आगणनों का परीक्षण, कार्य करने से पूर्व, सक्षम स्तर से करा लिया जाये।
6. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उन्ही मदों पर व्यय किया जायेगा जिस हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्मस के अनुसार किया जाये तथा उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31–03–2013 ,तक शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाय।

2–स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 2405– मछली पालन –00– आयोगनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–राष्ट्रीय मछुवा कल्याण योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 में निहित प्राविधानानुसार www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलाटमैन्ट आई0डी0 संख्या तथा वित्त विभाग के अशा0 सं0–190(P)/वित्त–4/2013, दिनॉक 14–मार्च, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(आर0सी0 पाठक)
सचिव।

संख्या : 301 (V)/XV-2/03(57)2004(मत्स्य) तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
4. निजी सचिव–मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।